

राजस्थान सरकार  
॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर ॥

क्रमांक : एफ( )2020/एफसीए/उवससी/ 10273

दिनांक :- 12/10/21

निमित्त :-

निदेशक,  
एन.आई.सी.,  
नई दिल्ली।


विषय:-पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र 0.7875 है० की जगह 0.9060 है० करने बाबत।

प्रसंग:- Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 33785/2018 Construction of Missing link road from "laxmangarh salasar to rajas via chouano ki dhani, goru ka bas, khejaroliyan ki dhani and minyan ki dhani" in rajas p.f. range- laxmangarh village- rajas, tehsil- laxmangarh, district- sikar(raj) area 0.7875 ha.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूर्व प्रस्तावित प्रस्ताव में वन सीमा का सही सीमांकन नहीं होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के ई.डी.एस. की अनुपालना में वन सीमा का पुनः प्रमाणीकरण करने पर सड़क की लंबाई बढ़ने के कारण क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अतः 0.7875 है० की जगह 0.9060 है० क्षेत्र करने की अनुमति प्रदान की जावे।


भवदीय,

  
(भीमा राम चौधरी)  
उप वन संरक्षक  
सीकर

क्रमांक : एफ( )2020/एफसीए/उवससी/ 10274

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक :- 12/10/21

  
(भीमा राम चौधरी)  
उप वन संरक्षक  
सीकर